

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक

B/5783 /

जबलपुर, दिनांक 10 / 08 / 2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर, म.प्र.
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.,
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (समस्त), म.प्र.
4. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर, म.प्र.
5. पीठासीन अधिकारी, परिवार न्यायालय----- (समस्त) म.प्र.,
6. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. ओ.एस.डी.(लेखा).....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार प्रशा./न्यायिक 1 एवं 2/जिला स्था./आई.एल./सतर्कता/एकजाम, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. ओ.एस.डी.(कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार (ई.)/एम./ओ.ए.डी.कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. मेम्बर सेक्रेटरी, म.प्र. राज्य विधिक सेवा समिति जबलपुर, म.प्र.,
13. मेम्बर सेक्रेटरी (एस.सी.एम.एस.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
15. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
16. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
17. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.)/इंचार्ज.....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
18. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
19. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/आई.एल.आर. एवं परीक्षा/सतर्कता महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
20. सहायक संपादक (आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
21. लाइब्रेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
22. सहायक(स्थापना)/सैट/लेखा/बजट/पेंशन/वैतनपत्रक/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

की ओर मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 एवं संशोधन क्रमांक 5-1-2017-3-एक भोपाल दिनांक 25.05.2018 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए (न्यायिक अधिकारियों को छोड़कर) अंगीकृत करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न:-मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन,
भोपाल का पत्र क्रमांक 5-1-2017/एक-3 भोपाल
दिनांक 28.09.2017 मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017
एवं संशोधन क्रमांक 5-1-2017-3-एक भोपाल दिनांक 25.05.2018

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

Kalu

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 526]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 सितम्बर 2017—आश्विन 6, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2017

क्रमांक सी 5-1/2017/एक-3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श पश्चात् मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संविदा नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (1) किसी सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है शासन या ऐसा प्राधिकारी, जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्त करने की शक्ति, उस सेवा या पद से संबंधित भर्ती नियम में प्रदत्त हो अथवा शासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपी गई हो अथवा इसके पश्चात् सौंपी जाए ;
 - (2) "विभागीय भर्ती नियम" से अभिप्रेत है संबंधित सेवा या पद पर नियुक्ति हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम;
 - (3) "सेवानिवृत्त शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त शासकीय सेवक;
 - (4) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
 - (5) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार।
3. विस्तार तथा लागू होना,— ये नियम प्रत्येक ऐसे पद/पदों के संबंध में एवं उन पर इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति या नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे जिन पद/पदों को राज्य सरकार द्वारा नियम 4 के अंतर्गत संविदा नियुक्ति का पद घोषित किया गया है अथवा घोषित किया जाए।
4. संविदा नियुक्ति के पद— निम्नलिखित पद संविदा नियुक्ति के पद कहलाएंगे, अर्थात्:—
- (1) ऐसे पद जो विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत हों।
 - (2) विभागीय भर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित है, को छोड़कर ऐसे पद जिनके लिए विशेषज्ञता, अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता आवश्यक हो, को राज्य सरकार के संबंधित विभाग अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में, लोक प्रशासन में दक्षता

बनाए रखने के उद्देश्य से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संविदा नियुक्ति का पद घोषित करें।

- (3) मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की निजी स्थापना के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के ऐसे स्वीकृत पद जिन पर नियुक्ति मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की पदावधि (को-टर्मिनस) तक के लिए की जानी हो।

5. **नियुक्ति का तरीका.**— राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा संविदा नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की जा सकेगी, अर्थात् :—

- (1) नियम 4 (1) में विहित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से;
- (2) नियम 4 (2) में विहित पदों पर, अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में येर शासकीय व्यक्ति अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की विशेषज्ञता, अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता तथा पद हेतु उसकी उपयुक्तता के आधार पर, वित्त विभाग की सहमति के उपरांत, संविदा नियुक्ति द्वारा;
- (3) नियम 4 (3) में विहित पदों पर मुख्यमंत्री/मंत्रीगण द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की पद के लिए निर्धारित अर्हता/पात्रता तथा उपयुक्तता के आधार पर।

6. **चयन समिति.**—

- (1) नियम 4(1) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए चयन समिति वही होगी जो विभागीय भर्ती नियम में विहित हो:
- (2) चयन समिति के गठन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

7. **आयु—सीमा.** —

- (1) संविदा नियुक्ति के लिए आयु सीमा वही होगी जो संबंधित पद या सेवा हेतु विभागीय भर्ती नियम में विहित हो:

परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए भी लागू होंगे।

- (2) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति जहाँ अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है वहाँ 65 वर्ष की आयु तक एवं जहाँ अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष है वहाँ 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी।

8. नियुक्ति के लिए अर्हताएं तथा पात्रता मापदण्ड.—

संविदा नियुक्ति के मामलों में नियुक्ति के लिए अर्हताएं तथा पात्रता मापदण्ड वही होंगे, जैसा कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 एवं 6 में विहित है। संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं वही होगी जो उक्त पद हेतु विभागीय भर्ती नियमों में विहित है।

9. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिए अनर्हताएं.—

- (1) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का गोपनीय चरित्रावली अभिलेख समग्र रूप से "बहुत अच्छा" श्रेणी या उससे उच्च कोटि का नहीं होने पर ;
- (2) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की निष्ठा के बारे में उसके सेवाकाल के दौरान किसी भी समय कोई संदेह या आक्षेप किया गया हो और सामान्यतः ईमानदारी और दक्षता के बारे में उसकी ख्याति अच्छी नहीं रही हो,
- (3) सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए जाने पर या उसके विरुद्ध विभागीय जांच/ अभियोजन लंबित होने पर,
- (4) पिछले 10 वर्षों के दौरान संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कोई दण्ड दिया गया हो;
- (5) उसका स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में नहीं होने पर।

10. आरक्षण.— संविदा नियुक्ति के पदों पर मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994

(क्रमांक 21 सन् 1994) एवं उसके अधीन समय-समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे, साथ ही महिला एवं निःशक्तजन आदि के आरक्षण के लिए भी समय-समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे।

11. नियुक्ति की अवधि.—

- (1) नियम 4 (1) में उल्लिखित संविदा नियुक्ति के पदों पर, संविदा नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष से अनधिक अवधि हेतु होगी, किन्तु राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी।
- (2) नियम 4 (1) में विनिर्दिष्ट पदों के सिवाय, संविदा नियुक्ति की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (3) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- (4) संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

12. संविदा वेतन एवं अन्य सुविधाएं.—

- (1) नियम-4 (1) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति की स्थिति में देय मासिक एकमुश्त वेतन वह होगा जो संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर वित्त विभाग की सहमति से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत किया जाए।
- (2) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथासंशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय

पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत का भी हकदार होगा;

- (3) नियम 5 (2) में अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में गैर सरकारी व्यक्ति को संविदा नियुक्ति दिए जाने की स्थिति में एवं मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की निजी स्थापना के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की संविदा नियुक्ति के मामलों में संबंधित पद का तत्समय प्रवृत्त वेतनमान संविदा की अवधि तक देय होगा तथा साथ ही अन्य आनुषंगिक लाभ वित्त विभाग की सहमति से दिए जा सकेंगे।

13. **अवकाश की पात्रता.**— इन नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।

14. **यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएं.**—

- (1) विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत पद पर नियुक्त व्यक्ति को, उस पद के लिए निर्धारित यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।
- (2) सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संविदा नियुक्ति के मामले में, वे संबंधित पद/समकक्ष पद हेतु शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के पात्र होंगे।
- (3) यदि संविदा नियुक्ति के किसी पद के लिए यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाएं, नियमों में विहित नहीं है तो ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद के समकक्ष पद पर नियुक्त शासकीय सेवक के समान यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

15. अन्य शर्तें.-

- (1) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
- (2) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी साथ ही वार्षिक वेतनवृद्धि भी देय नहीं होगी।
- (3) संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन/पीएआर (परफारमेंस एपराइजल रिपोर्ट) लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।
- (4) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे/उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा और उसे/उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ-साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके/उनके लिए बाध्यकारी होगा।
- (5) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है:

परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।

- (6) संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 45-क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जाएगी।

16. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
17. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी समस्त अन्य नियम और निर्देश जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, एतद्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु नए संविदा नियुक्ति नियम प्रभावशील होने के दिनांक के पहले की गई सभी संविदा नियुक्तियां इन नियमों के अंतर्गत की गई तथा वैध मानी जाएंगी और संविदा की शेष अवधि में उन पर पूर्व के नियुक्ति आदेश की सेवा शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2017

क्र.-सी-5-1-2017-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

Bhopal, the 28th September 2017

No- C-5-1-2017-I-3 : In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, after consultation with the Madhya Pradesh Public Service Commission, hereby, makes the following rules relating to contractual appointment, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Contractual Appointment to Civil Post Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(1) In relation to any service or post "Appointing Authority" means the Government or such authority which has been conferred with the powers to make appointment on that service or post under the recruitment rules related to that service or post or conferred by the Government by general or special order or which may be conferred hereafter;

(2) "Departmental Recruitment Rules" means service recruitment rules in force for appointment to the concerned service or posts;

(3) "Retired Government Servant" means Government servant retired from the Government Service after completing the age of superannuation;

(4) "State" means the State of Madhya Pradesh;

(5) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh.

3. Scope and Application.- These rules shall apply in relation to every such post/ posts and to such persons appointed or who may be appointed under these rules, on the post / posts declared or may be declared as contract appointment post by the State Government under rule 4.

4. Posts of contract appointment.- The following posts shall be called the contract appointment post, namely :-

(1) Such posts which are sanctioned as contract appointment post in the departmental setup.

- (2) Notwithstanding anything contained in the Departmental recruitment rules, such post, which requires speciality, experience and specific qualification etc. may be declared contract appointment post by general or special order by concerning departments of the State Government, in exceptional cases, for the purpose of maintaining efficiency in the public administration, excluding the post which requires in the field of judicial service under any law or rule for the time being in force.
- (3) Such sanctioned posts of class III and IV in the personal establishment of Chief Minister/ Ministers on which appointments are to be made till the tenure of Chief Minister /Ministers (co-terminus).

5. **Methods of Appointment.**- Contractual appointments in the concerned department of State Government may be made in the following manners, namely:-

- (1) on the posts mentioned under Rule 4(1) by way of public advertisement;
- (2) on the posts mentioned in Rule 4 (2) by way of contract appointment of non-government persons retired government servant, on exceptional specific cases, on the basis of specialization, experience, special qualification and his suitability for the post after approval of the Finance Department;
- (3) on the posts mentioned under rule 4(3) by the person recommended by the Chief Minister/Ministers on the basis of prescribed qualification/eligibility and suitability for the post.

6. Selection Committee.-

- (1) Selection committee for contract appointment to the posts prescribed under rule 4(1) shall be same as prescribed in the departmental recruitment rules.
- (2) The provisions of section 8 of the Madhya Pradesh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vergon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable for the constitution of the selection committee.

7. Age Limit.-

- (1) Age limit for contract appointments shall be the same as prescribed in the departmental recruitment rules for the concerned post or service:

Provided that orders/ instructions issued by the General Administrative Department from time to time relating to exemption in age limit shall also be applicable for contract appointment.

- (2) In the case of retired government servant, contract appointment may be given up to the age of 65 years where age of superannuation is 60 years and where the age of superannuation is 65 years, it may be given up to the age of 70 years.

8. Qualifications and eligibility criteria for appointment.-

In cases of contract appointment the qualifications and eligibility criteria shall be the same as prescribed in rule 5 and 6 of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961. For contract appointment minimum

educational and other qualification shall be the same as prescribed in departmental recruitment rules per the said post.

9. Ineligibilities for contract appointment of retired government servants.-

- (1) If confidential service record of the concerned officer/employee is not "very good" or above category in total;
- (2) Where there any doubt or charge has been raised at any time during his service period regarding the integrity of concerned officer/employee and his reputation regarding his honesty and efficiency has not been good in general;
- (3) On being dismissed or removed from the service or pending departmental enquiry/prosecution against him;
- (4) If concerned officer/employee has been punished during the last 10 years;
- (5) If his health is not sound;

10. Reservation.- The provisions of Madhya Pradesh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vergon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and rules/instructions issued thereunder from time to time shall apply to the posts of contract appointment, along with rules/instructions issued for reservation of women and disabled etc. from time to time, shall also be applicable.

11. Period of Appointment.-

- (1) On the contract appointment posts mentioned under rule 4(1), the contract appointment for the first time shall be made for the

period of not more than one year however, the State Government may, take decision of renewal of contract appointment by extending the period of contract appointment for a period of maximum one year at one time depending on the necessity and assessing suitability of person appointed on contract.

- (2) Except the post specified in rule 4(1), the total period of contract appointment shall not be more than five years.
- (3) Either of parties may terminate the contract appointment during the period of contract appointment by giving one month's notice in advance or paying one month's salary in lieu thereof.
- (4) Contract appointment shall be deemed terminated automatically on expiry of the period of the contract appointment and no separate order shall be needed for terminating the services.

12. Contract pay and other facilities.-

- (1) In the case of contract appointment on the posts prescribed under rule 4 (1), payable monthly lump-sum honorarium shall be such as may be fixed by the Finance Department by a general or special order issued from time to time.
- (2) Regarding retired employees, contract pay shall be the lump-sum amount payable after deducting the payable pension (prior to commutation) and dearness relief thereupon, from basic pay admissible in the pay structure (pay scale as amended) and dearness allowance admissible, at the time of retirement and apart from this he shall be entitled for house rent allowance (if they do not possess government accommodation) and city compensatory allowance on the basic pay at the time of retirement and shall also be entitled for pension and dearness relief on pension.

(3) The contract appointment on higher post under rule 8 (2), in case of appointment being given to non- government person in exceptional specific cases in rule 5 (2) and for personal establishment of Chief Minister/ Ministers, in cases of contract appointment of other persons beside the retired employees, the pay scale for the time being in force shall be payable for the period of contract and other incidental benefits may be given with the consent of Finance Department.

13. Applicability of Leave.- Under these rules, the employee appointed on contract shall be entitled for leave in the same manner as a temporary Government Servant.

14. Travelling Allowance and other facilities.-

- (1) Person appointed to the post sanctioned as contract post in the departmental setup, shall be eligible for travelling allowance and other facilities.
- (2) In the case of contract appointment of retired persons, they shall be eligible for travelling allowance and other benefits as payable to government servant for the concerned post/equivalent post.
- (3) If for any contract appointment post, travelling allowance and other benefits are not prescribed in the rules then the eligibility of travelling allowance and other benefits to the person appointed on such post shall be same as that of the government servant of the same or equivalent post.

15. Other conditions.-

- (1) Persons appointed on contract shall be governed by the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965.
- (2) Persons appointed on contract shall not be eligible for any kind of pension, gratuity or death benefit or the period of contract and the annual increment shall not be payable as well.

(3) Confidential Report/PAR (Performance Appraisal Report) of the employee appointed on contract shall be recorded so that his work may be assessed in case he is to be given appointment on contract for the next year.

(4) During the contract appointment of retired government servants, he/they may be transferred to equivalent post in other offices and he/they may also be given additional responsibility in addition to the work of contract post which shall be mandatory for him/them to accept.

(5) Person appointed on contract shall have to deposit minimum of 10 percent of his contract pay in life insurance pension scheme or PPF for social security of his family and he shall intimate this fact to the appointing authority as to which of the scheme he has opted:

Provided that this provision shall not be applicable to retired government servants.

(6) Retired government servant appointed on contract, shall be eligible to retain the government accommodation if he is occupying the government accommodation at the time of retirement and license fee shall be recovered from him as per rule 45-A of Madhya Pradesh Fundamental Rules.

16. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the General Administration Department on which decision of the General Administration Department shall be final.

17. Repeal and savings.- All the rules and instructions corresponding to these rules which were in force immediately prior to the commencement of these rules, are hereby repealed:

Provided that all contract appointments on the date of coming into force of these rules shall be deemed to have been made under these rules, service condition of previous appointment order shall be applicable as it is for the remaining period of contract.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
C. B. PADWAR, Dy. Secy.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2018—ज्येष्ठ 4, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 मई 2018

क्र. सी-5-1-2017-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4-में, उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(4) सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से विभागीय सेट-अप में नियमित स्थापना के स्वीकृत पद या पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष से अधिक अवधि लगाना संभावित हो.”

2. नियम 5-में, उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(4) नियम 4 के उपनियम (4) में, उल्लिखित पद पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति द्वारा.”

3. नियम 6 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाएं, अर्थात्:—

“(3) नियम 4 के उपनियम (2), (3) एवं (4) में उल्लिखित पद पर, संविदा नियुक्ति के मामलों की छानबीन निम्नानुसार गठित समिति द्वारा की जाएगी:—

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	—	अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	—	सदस्य
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रशासकीय विभाग	—	सदस्य
(4) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (शाखा-3)	—	सदस्य

टीप.—विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष स्तर के पदों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में, अपर मुख्य सचिव पदस्थ नहीं होने की स्थिति में, छानबीन समिति की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी।

“(4) छानबीन समिति की अनुशंसा पर आगामी कार्यवाही:—

यदि समिति संविदा नियुक्ति की सिफारिश करती है, तो वह उसके कारण विनिर्दिष्ट करेगी और सुसंगत नियमों के अनुरूप वह अवधि दर्शाएगी जिसके लिए संविदा नियुक्ति की जा सकेगी। ऐसे मामले, जिनमें छानबीन समिति ने संविदा नियुक्ति की अनुशंसा की हो, प्रशासकीय विभाग द्वारा मंत्रि-परिषद् के आदेशार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे मामलों में, जिनमें छानबीन समिति ने संविदा नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की है, आगामी कार्यवाही नहीं की जाएगी।”

4. नियम 9 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का 10 वर्षों का गोपनीय चरित्रावली अभिलेख समग्र रूप से “बहुत अच्छा” श्रेणी या उससे उच्च कोटि का नहीं होने पर।”

5. नियम 11 में, उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(5) नियम 4 के उपनियम (4) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति प्रथम बार में एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं की जाएगी जिसे वर्षानुवर्ष के आधार पर, बढ़ाया जा सकेगा:
परन्तु संविदा नियुक्ति की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।”

6. नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“15-क यदि किसी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को सार्वजनिक उपक्रम/निगम/मण्डल/आयोग/विश्वविद्यालय में संविदा नियुक्ति दी जाना प्रस्तावित है, तो ऐसी संविदा नियुक्ति का आदेश इन मापदण्डों एवं प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद ही जारी किया जाएगा, अर्थात् ऐसे प्रकरणों में, नियम 6 में उल्लिखित छानबीन समिति की अनुशंसा के पश्चात्, मंत्रि-परिषद् का आदेश प्राप्त किए जाने के बाद संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी। यह नीति उन सभी व्यक्तियों के प्रकरणों में लागू होगी, जिनमें अपनी अधिवाधिक आयु पूर्ण करने के पश्चात् या तो सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद या कुछ अन्तराल बाद, सार्वजनिक उपक्रम/निगम/मण्डल/आयोग/विश्वविद्यालय में संविदा नियुक्ति प्रस्तावित है।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पडुवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2018

क्र. सी-5-1-2017-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पडुवार, उपसचिव.

Bhopal, dated 25 May 2018

No. C-5-1-2017-3-One.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes following amendments in the Madhya Pradesh Contractual Appointment to Civil Post Rules, 2017, namely,—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 4, after sub-rule - (3), the following sub-rule shall be added, namely,—

“(4). The posts sanctioned with the consent of General Administration department in departmental set-up of the department and the posts which may take more than one year period for filling by promotion due to unavoidable reasons”.

2. In rule -5, after sub-rule - (3), the following sub-rule shall be added, namely,—

“(4). By contractual appointment of retired government servant on the post mentioned in sub-rule (4) of rule 4;”

3. In rule -6, after sub-rule - (2), the following sub-rules shall be added namely,—

“(3) The scrutiny of cases of contractual appointment on the post mentioned in sub-rule- (2), (3) and (4), of rule 4, shall be made by the committee which shall consist of the following—

- | | | | |
|-----|---|---|------------------|
| i | Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary,
Government of Madhya Pradesh General Administrative
Department. | — | Chairperson |
| ii | Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh
Finance Department. | — | Member |
| iii | Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh
Administrative Department. | — | Member |
| iv | Deputy Secretary Government of Madhya Pradesh General
Administrative Department. (Section 3). | — | Member Secretary |

[Note- The Chief Secretary shall preside over the meeting of the scrutiny committee if the Additional Chief Secretary is not posted in the General Administrative Department for the post of / Additional Head Of the Department level.]”

“(4). Further proceedings on the recommendation of Scrutiny Committee—

If the committee recommends for contractual appointment, than the reasons shall be specified and the period shall also be specified for which contractual appointment may be made. Such cases, where the scrutiny committee has recommended to fill the posts by contractual appointment, the such cases shall be presented before the cabinet by the administrative department. In such cases in which scrutiny committee has not recommended for the contractual appointment, further proceedings shall not be initiated.”

4. In rule- 9, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted namely,—

“(1) In case the confidential report of the concerned officer / employee for the last 10 years is not over all very good or is not of higher rank”.

5. In rule 11, after sub .rule (4), the following sub rule shall be added, namely,—

“(5) The contractual appointment on the post mentioned in sub-rule (4) of rule 4, shall not be made first time for period of more than one year but this period may be extended on the year to year basis.

Provided that the total period of contractual appointment shall not be more than 5 Years.”

6. After rule 15, the following rule shall be added, namely,—

“15-A. If any retired government servant is proposed to be appointed on contract basis in any public undertaking/ Corporation/ Board/ Commission/University, the order in this regard shall be issued after following these criteria and procedure, ie. the contract appointment may be only made after obtaining recommendation of scrutiny committee and Cabinet order. This policy shall be applicable in all cases of those persons who are proposed to be appointed after completion of their age of superannuation, either immediately after retirement or after some gap, on contract basis in Public undertaking/Corporations/Boards/Commissions/Universities.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
C. B. PADWAR, Dy. Secy.